

अनुबन्धित क्षेत्रफल 74.75 एकड़ अथवा 30.26 हेक्टेयर है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के गजट अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 यथासंशोधित दिसम्बर, 2009 एवं अप्रैल, 2011 के अनुसार प्रस्तावित खनन परियोजना को श्रेणी 'बी' में रखा गया है। खनन के लिये उपलब्ध क्षेत्रफल 74.75 एकड़ अथवा 30.26 हेक्टेयर होगा। खनन नदी क्षेत्र के उस भाग में होगा जो किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित होगा। प्रत्येक वर्ष नदी क्षेत्र से लगभग 1.08 लाख टन सामग्री के संग्रहण की प्रस्तावना की गयी है। विचाराधीन खनन क्षेत्र का उपयोग नदी के प्राकृतिक प्रवाह के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है।

मानसून के दौरान खनन की कोई गतिविधि नहीं की जायेगी। रेत खनन नदी के बहाव क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। खनन का कार्य मजदूरों द्वारा नदी के कुल चौड़ाई के 25-25 प्रतिशत दोनों किनारों को छोड़कर बीच के 50 प्रतिशत भाग से नदी के बहाव क्षेत्र से ही किया जायेगा तथा रेत सामग्री उसके मौजूदा स्वरूप से ही संग्रहित की जायेगी। खनन की प्रक्रिया केवल 3.0 मी० की गहराई तक ही की जायेगी अथवा भूजल स्तर से मात्र 2.0 मी० ऊपर तक ही की जाएगी। इसके लिये केवल हाथों वाले औजार जैसे, फावड़ा, तगाड़ी एवं चलनी आदि का प्रयोग किया जायेगा। खनन की प्रक्रिया केवल दिन के दौरान ही की जायेगी। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जाएंगे जैसे सड़कों पर पानी का छिड़काव, सैण्ड मौरम को वाहन में लोडिंग करते समय गीली अवस्था में रखना एवं तिरपाल से ढकना आदि की व्यवस्था की जाएगी। ओवर लोडिंग नहीं की जाएगी। गांव के क्षेत्रों में ध्वनि यंत्र का न्यूनतम उपयोग किया जाएगा। पुराने और खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमान नहीं किया जाएगा। नदी के खनन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सड़कों की संख्या न्यूनतम होगी, जिसके लिए नदी किनारों की कटिंग नहीं की जाएगी और रैम्प बनाये जाएंगे तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नदी के खनन क्षेत्र में तालाब न बन जाए।

उक्त के अतिरिक्त श्री वर्मा जी द्वारा पर्यावरणीय नियंत्रण योजना द्वारा अवगत कराया गया कि आस-पास के तालाबों, कुंओं और वेल्स में पानी के स्तर में उतार चढ़ाव का मापन किया जाएगा। नदी के किनारे का अपरदन को रोकने के लिए नियमित जांच की जाएगी। किसी भी विपरीत स्थिति में उचित कार्यवाही की जाएगी। खनन क्षेत्र स्थिर और गतिशील स्रोतों और आस-पास के गांवों में शोर के स्तर की जांच साल की हर तिमाही पर की जाएगी। खनन का प्रबन्धन आस-पास के स्थानीय गांवों के नियमित रूप से सम्पर्क में रहेगा। प्रदूषण के रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा ताकि प्रस्तावित सुविधा के स्थायी संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। नियमित पर्यावरणीय लेखापरीक्षा का संचालन किया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के मुद्दों से बचने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा इस परियोजना के लाभ के विषय में बताया गया कि नदी के किनारों को चौड़ा होने से रोकना तथा अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ और नुकसान से बचाना है। इससे नदी के बहाव क्षेत्र से लघु खनिजों इत्यादि के खनन एवं संग्रहण के द्वारा नदियों का मौजूदा मार्ग बना रहता है। समाज के सबसे गरीब वर्ग के लिये आजीविका के अवसर उपलब्ध रहते हैं। इस परियोजना से निर्माण सामग्री जैसे रेत की आपूर्ति में सुधार होगा जिससे राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे सड़कों, इमारतों एवं पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा में उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गये निम्नांकित प्रश्नों के सापेक्ष निम्नांकित उत्तर दिये गये।

Chaturvedi,

प्रश्न 1— खनन क्षेत्र से बालू/मौरम के परिवहन हेतु उपयोग में लाये गये वाहनों के आवागमन से सम्बन्धित मार्ग के समीप स्थित फसलें एवं पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचता है जिसके कारण पैदावार प्रभावित होती है तथा समीपवर्ती लोगों का आवागमन भी प्रभावित होता है। इसके निराकरण किये जाने की क्या व्यवस्था है? (श्री कुंअर लाल ग्राम— दौलतपुर, तह0— भोगनीपुर, जनपद रमाबाई नगर)

उत्तर— श्री बी0एन0 चौधरी, अतिरिक्त सामान्य प्रबन्धक(लीगल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन), मै0 ग्रास रूट्स रिसर्च एंड कियेशन इण्डिया(प्रा0)लि0, नोयडा द्वारा अवगत कराया गया कि बालू/मौरम खनन क्षेत्र से बालू/मौरम के परिवहन हेतु प्रयोग किये जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाएगा तथा लदे हुए वाहनों को बालू गीली अवस्था में अथवा तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रयोग किये जाने वाले सम्पर्क मार्ग की नियमित रूप से मरम्मत कराई जाएगी जिससे कि समीपवर्ती पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

प्रश्न 2— सम्बन्धित बालू/मौरम खनन क्षेत्र से परिवहन मार्ग समीपवर्ती ग्राम से होकर गुजरता है जिसके कारण प्रयोग में लाए जाने वाले परिवहन वाहन के आवागमन से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जिसके कुप्रभाव ग्रमवासियों के स्वास्थ्य एवं छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता है। क्या इसके रोकथाम की कोई व्यवस्था प्रस्तावित है? (श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम— दौलतपुर, तहसील— भोगनीपुर, जनपद— रमाबाई नगर।)

उत्तर— श्री बी0एन0 चौधरी, अतिरिक्त सामान्य प्रबन्धक(लीगल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन), मै0 ग्रास रूट्स रिसर्च एंड कियेशन इण्डिया(प्रा0)लि0, नोयडा द्वारा अवगत कराया गया कि गांव के क्षेत्रों में ध्वनि यंत्र का न्यूनतम उपयोग किया जाएगा। पुराने और खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना स्थल के निकटवर्ती किसानों के सम्बन्ध में सभा में यह पूछने पर कि इन किसानों को किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है, इस प्रसंग पर सभा में उपस्थित समस्त जनसमुदाय द्वारा हाथ उठाकर अपनी स्वीकारोक्ति व्यक्त की गई। इसी के साथ ही सभा के समापन की घोषणा अपरजिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई, महोदय द्वारा की गई।

उपरोक्त मन्तव्य के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थानीय लोकसुनवाई का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किया जाता है।

(Shatruvedi)
(डा0/श्रीमती शोभा चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रमाबाई नगर। 07/06/12

(M... 7/6/12)
अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)/अध्यक्ष, लोकसुनवाई
जनपद— रमाबाई नगर।